

स्पीड पोस्ट
आवंटनादेश

संख्या- 6/एफ1-305/16 श्र0सं0-
बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

193

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

उप श्रमायुक्त, पटना /बेगूसराय ।

सहायक श्रमायुक्त, सहरसा/ पूर्णियाँ मुख्यालय, कटिहार ।

श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर-01/वैशाली(हाजीपुर)-01/औरंगाबाद/भोजपुर(आरा)-01/किशनगंज ।

पटना, दिनांक :- 29.3.17

विषय:- मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-01-श्रम-राज्य योजना-103-सामान्य श्रम कल्याण-मांग संख्या-26-
उपशीर्ष-0103-बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण (विपत्र कोड-पी 2230011030103) के अन्तर्गत
निधि का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय संशोधित स्वीकृत्यादेश संख्या-1249 दिनांक 29.03.17 के
आलोक में बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय
के निमित्त माह के प्रत्येक कार्यदिवस हेतु कार्यालय उपयोग एवं जिला स्तर पर गठित धावा दल के लिए
सघन निरीक्षण हेतु संविदा के आधार पर निविदा प्राप्त कर वाहन की व्यवस्था हेतु वाहन का ईंधन एवं
रख रखाव इकाई (13-02) में कुल ₹ 6,00,000/- (₹ छः लाख) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्न प्रकार से
आवंटन किया जाता है-


| क्र.सं. | कार्यालय का नाम | वाहन का ईंधन एवं रख रखाव (13-02) |
|---------|--|-------------------------------------|
| 1 | उप श्रमायुक्त, पटना | 145200 |
| 2 | उप श्रमायुक्त, बेगूसराय | 46800 |
| 3 | सहायक श्रमायुक्त, सहरसा | 62400 |
| 4 | सहायक श्रमायुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, कटिहार | 31200 |
| 5 | श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर | 93600 |
| 6 | श्रम अधीक्षक, वैशाली (हाजीपुर) | 62400 |
| 7 | श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद | 31200 |
| 8 | श्रम अधीक्षक, भोजपुर (आरा) | 96000 |
| 9 | श्रम अधीक्षक, किशनगंज | 31200 |
| कुल योग | | 600000 |

कुल प्रस्तावित आवंटन ₹ 6,00,000/- (₹ छः लाख) मात्र ।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं
वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक
व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
5. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत
अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
6. आवंटित की गयी राशि पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त हुयी है।
7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

29/3/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।


ज्ञापांक:- 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 193 पटना, दिनांक 29.3.17
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 193 पटना, दिनांक 29-3-17


*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी /*संबंधित कोषागार /उप कोषागार पदाधिकारी /प्रशाखा-2 सरकार पक्ष / प्रशाखा-6, बजट शाखा, श्रम पक्ष को एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


29/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक: 6/एफ1-304/16 श्र0सं0- 193 पटना, दिनांक 29-3-17

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


29/03/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।